FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोतीसिंह राजपुरोहित पुत्र देवीसिंह मु.पो. देसूरी बस स्टैण्ड के पीछे, देसूरी जिला पाली		लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) देसूरी

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 22 / 2021

G.C.M.S. No. -2021/96

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/21	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) देसूरी ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 09/04/21 को पेश हो। जिला कलक्टर, पाली	460-461 / 18/03/21
9/4/21	पत्रावली आज पेश हुई। सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तह० देसूरी द्वारा प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है पुनः स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/4/21 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
30/4/21	पत्रावली आज पेश हुई। तह० देसूरी से अपीलार्थी प्रार्थना पत्र बाबत पालना प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी प्राप्त सूचना बाबत अपना पक्ष रखने हेतु स्वयं के खर्चे से उप० होना चाहे तो हो सकता है। इस आशय का नोटिस अपीलार्थी को जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 21-5-21 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	769 / 5/5/21
21-5-21	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] किया गया। उन्हें [illegible] बताया। उन्हें सूचना प्राप्त हो चुकी है रिपोर्ट [illegible] कार्यवाही की जिसमें अपीलांट द्वारा चाही गई वो मिल गई है इस अपील के निर्णय में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से [illegible] होकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	21/5/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:34:56 IST
Reason: SelfAttested